बिहार सरकार
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 11.07.2026

सं0 सं0–IV/M1-1-02/2026 4220 राज्य सरकार द्वारा निबंधन की वर्त्तमान प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख बनाने एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने तथा निबंधन की प्रक्रिया को पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2026 गठित है।

"बिहार निबंधन नियमावली, 2026" सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाना है। पेपरलेस दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया पूर्णतः नयी व्यवस्था होने के कारण आम जनों को दस्तावेज के निबंधन में अपेक्षित सुविधा भी प्रदान किया जाना है।

निबंधनार्थी जनता की सुविधा को देखते हुए "बिहार निबंधन नियमावली, 2026" चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में पेपरलेस दस्तावेजों का निबंधन 10 (दस) निबंधन कार्यालयों में लागू किया जा रहा है, जो तिथिवार निम्नवत् है :–

(i)	जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	(दिनांक–11.07.2026 से)
(ii)	जिला निबंधन कार्यालय, जहानाबाद	(दिनांक–18.07.2026 से)
(iii)	अवर कार्यालय, पातेपुर (वैशाली)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(iv)	अवर निबंधन कार्यालय, फतुहा (पटना)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(v)	अवर निबंधन कार्यालय, सम्पतचक (पटना)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(vi)	अवर निबंधन कार्यालय, सोनपुर (सारण)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(vii)	अवर निबंधन कार्यालय, डिहरी ऑन–सोन (रोहतास)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(viii)	अवर निबंधन कार्यालय, मंझौल (बेगूसराय)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(ix)	अवर निबंधन कार्यालय, बाबूबरही (मधुबनी)	(दिनांक–18.07.2026 से)
(x)	अवर निबंधन कार्यालय, सोनवर्षा (सहरसा)।	(दिनांक–18.07.2026 से)

2. शेष निबंधन कार्यालयों के लिए अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
3. बिहार निबंधन नियमावली 2026 के लागू होने के पूर्व निबंधन कार्यालयों में बिहार निबंधन नियमावली 2008 (यथासंशोधित) पूर्ववत प्रभावी रहेगा।
4. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भूमि/प्लॉट/फ्लैट का घर बैठे निबंधन की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान संपूर्ण बिहार राज्य में लागू किया जाता है।
5. यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/7/26

(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव

157

ज्ञापांकः– IV/M¹-1-02/2026 ..4220.. पटना, दिनांक ..11.07.2026..

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800017 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

11/7/26

सरकार के सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– IV/M¹-1-02/2026 ..4220.. पटना, दिनांक ..11.07.2026..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/26

सरकार के सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– IV/M¹-1-02/2026 ..4220.. पटना, दिनांक ..11.07.2026..

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

11/7/26

सरकार के सचिव
बिहार, पटना।